

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-चतुर्थ, चिड़वा, झुझुनूं
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स सीमा इलेक्ट्रिकल एण्ड
कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, खेतड़ी,
जिला झुझुनूं

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री विवके सिंघल,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 224/आरवैट/झुझुनूं/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-चतुर्थ, चिड़वा, जिला झुझुनूं (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24, 55 व 58 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी ठेकेदार को इस अवधि में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झुझुनूं एवं सीकर से कुल भुगतान रुपये 44,78,217/- प्राप्त हुआ। इस राशि में से रुपये 3,09,173/- का कार्य बाऊण्डीवाल के निर्माण से संबंधित था जिसके लिए व्यवसायी द्वारा EC प्राप्त किया गया जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत की दर से कुल 9,275/- की EC Fee आरोपित की। शेष भुगतान राशि रुपये 41,69,044/- के संबंध में ठेकेदार द्वारा जी-अनुसूची एवं रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण सुनवाई का अवसर देते हुए इस पर 70 प्रतिशत श्रम का भाग मानते हुए रुपये 29,18,331/- की छूट स्वीकार की गयी तथा शेष राशि रुपये 12,50,713/- में 10 प्रतिशत लाभांश जोड़ते हुए रुपये 13,75,784/- के सिविल ठेका कार्य में करयोग्य माल यथा एम.एस. रोड़, फ्यूज, नेट एण्ड बोल्ट, स्टे इन्सुलेटर, एम. सी.सी.आई., बोल्ट्स आदि की डीमंड सेल मानते हुए रुपये 10,00,000/- का भुगतान 4 प्रतिशत करयोग्य माल का मानते हुए उस पर कर रुपये 40,000/- एवं शेष भुगतान रुपये 3,75,784/- का 14 प्रतिशत से करयोग्य इलेक्ट्रीक गुड्स की मानते हुए उस पर 14 प्रतिशत से कर रुपये 52,610/- निर्धारित

लगातार.....2

किया गया। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा वार्षिक रिटर्न देरी से प्रस्तुत करने के कारण धारा 58(i) में अधिकतम शास्ति रुपये 30,566/- आरोपित की है। जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रत्यर्थी ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी को कुल रुपये 44,78,217/- का भुगतान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से प्राप्त हुआ जिसमें से रुपये 3,09,173/- का भुगतान EC Fee द्वारा कवर होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने 3 प्रतिशत EC Fee आरोपित की है जिस पर प्रत्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विभाग द्वारा रुपये 41,69,044/- जो पूर्णतया विद्युत लाईन बिछाने, बिजली के खम्बे एवं ट्रांसफार्मर लगाने एवं नट बोल्ट लगाने, विद्युत लाईनों की मरम्मत एवं रख रखाव से संबंधित कार्य के पेटे प्राप्त हुआ है जो पूर्णतया श्रम का कार्य है। इस बाबत प्रत्यर्थी ने कई वर्क आर्डर की प्रतियां प्रस्तुत की है प्रत्येक वर्कआर्डर के Subject में लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट अंकित किया हुआ है तथा प्रत्येक कार्यादेश में वर्णित शर्तों के बिन्दू क्रमांक 3 में यह उल्लेखित किया गया है कि ठेकेदार निगम के स्टोर से माल उठायेगा। ठेका कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामान निगम के स्टोर द्वारा ही उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी ठेकेदार को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के इंजीनियरों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि ठेकेदार द्वारा किसी भी तरह के करयोग्य माल की आपूर्ति नहीं की गयी है एवं सभी तरह का माल एवं नटबोल्ट, पी.जी. कलाम्पस, आई बोल्ट्स, स्टे इन्सूलेटर आदि निगम के स्टोर द्वारा ही उपलब्ध करवाये गये हैं। प्रत्यर्थी ने अपने इस तर्क के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है ओर जोर दिया कि उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ठेकेदार ने किसी भी तरह के माल की आपूर्ति नहीं की है। अपील पत्रावली पर उपलब्ध अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., के कार्यादेश संख्या 2593, 5904, 5765, 4843, 2755, 2017, 2457, 890, 1702 व 2793 के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्यादेश के Subject में लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट अंकित किया गया है, प्रत्येक कार्यादेश में वर्णित शर्तों के बिन्दू क्रमांक 3 में यह उल्लेख किया गया है कि ठेकेदार निगम के स्टोर डिपार्टमेंट से माल उठायेगा और माल की आपूर्ति निगम के स्टोर द्वारा की जायेगी। इसके प्रत्यर्थी ठेकेदार ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., के सहायक अभियन्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें यह अंकित किया गया है कि ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार के करयोग्य माल की आपूर्ति नहीं की गई है, और जो माल ठेकाकार्य में उपयोग में लिया गया है वह अवार्डर(अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) द्वारा उपलब्ध कराया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने सर्वोत्तम विवेक से निर्णय करने से पूर्व इन तथ्यों की अवार्डर से कोई जांच नहीं की गई है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने करयोग्य माल की आपूर्ति पर करारोपण करने से पूर्व ठेकेदार के अवार्डर से कोई जांच नहीं की। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्येक W.O. के अंत में एक नोट को आधार माना है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नट-बोल्ट, पी.जी.क्लेम्प, आई-बोल्ट, स्टे-इन्सूलेटर की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जायेगी। यह नोट केवल उन्हीं परिस्थितियों के लिए लिखा गया है जब निगम के पास इस तरह का सामान स्टोर डिपार्टमेंट में उपलब्ध नहीं हो

तो उस स्थिति में ठेकेदार इस तरह का सामान उपलब्ध करवा सके। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ठेकेदार ने इस तरह के माल की आपूर्ति की है क्योंकि प्रत्येक कार्य आदेश के मुख्य भाग के बिन्दू क्रमांक 3 में यह वर्णित है कि समस्त प्रकार के माल की आपूर्ति निगम के स्टोर द्वारा ही की जायेगी। तथा इस बात को सिद्ध करने के लिए अपीलार्थी ने निगम का प्रमाण पत्र तथा अपने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः रुपये 41,69,044/- का भुगतान श्रम के कार्य के पेटे प्राप्त हुआ है जिस पर पूरी छूट स्वीकार की जानी चाहिए। प्रत्यर्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ठेकेदार को किसी तरह के माल की आपूर्ति नहीं की है लेकिन अगर यह माना भी जावे तो भी नट बोल्ट, पी.जी.कलाम्पस, आई. बोल्ट, स्टे इन्सुलेटर जो बहुत कम मात्रा में उपयोग होता है और जिनका मूल्य बहुत कम होता है। इस कारण इस तरह के सामान की कीमत कुल भुगतान के 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने इस तरह के सामान की कीमत 30 प्रतिशत के बराबर मानी है जो कि अवास्तविक एवं अनुचित एवं अतार्किक है। प्रत्यर्थी ने गत वर्ष के अपील आदेश दिनांक 09.01.2012 की ओर ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि जो इस वर्ष कार्य किया गया है वह पिछले वर्ष से हू-ब-हू मेल खाता है। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि सक्षम अधिकारी ने स्टे इन्सुलेटर, नट बोल्ट, पी.जी.कलाम्पस, आई. बॉल्ट्स आदि की लगने वाली कीमत व भुगतान के 5 प्रतिशत के बराबर माना है और उसका 50 प्रतिशत आधा भाग 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य माना तथा 50 प्रतिशत भाग 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य मानकर अपील आदेश पारित किया। वर्तमान प्रकरण के तथ्य भी पिछले वर्ष के तथ्यों से हू-ब-हू मेल खाने के कारण प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि इस वर्ष में भी पिछले वर्ष के अपील आदेश को आधार मानते हुए आदेश पारित किया जावे।

प्रत्यर्थी को जितना भुगतान प्राप्त हुआ है उस पर ही कर निर्धारण होना चाहिए लेकिन वर्तमान प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने करयोग्य माल में 10 प्रतिशत लाभांश को अलग से जोड़कर कर निर्धारण किया है जो अनुचित है। प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि सक्षम अधिकारी ने धारा 58(i) में अधिकतम शास्ति रुपये 30,566/- आरोपित की है जो अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अधिकतर ठेकेदार बिना पढ़े लिखे होते हैं जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं होता है तथा जो एक विषम परिस्थिति में काम करते हैं इन्हें कई विभागों से ठेके कार्य प्राप्त होते हैं जो अलग-अलग जगह समाहित करने होते हैं जिसका नाप-जोख अवार्डर की पुस्तिका में दर्ज होता है प्राप्त भुगतान विभागीय कटौतियों जैसे एसडीआई, आयकर, वैट, रॉयल्टी आदि के बाद मिलता है। जिसकी डिटेल वर्ष समाप्त होने के बाद वैट-41 के माध्यम से प्राप्त होती है। जब तक प्रत्यर्थी को वैट-41 प्राप्त होता है रिटर्न भरने की नियत तिथि जा चुकी होती है। अतः ठेकेदार के लिए समय पर रिटर्न भरना इन परिस्थितियों के कारण सम्भव नहीं होता है। यह एक उचित कारण है अतः इस कारण धारा 58 के तहत शास्ति नहीं लगाई जानी चाहिए। प्रत्यर्थी ने यह भी तर्क दिया कि शास्ति तब तक नहीं लगानी चाहिए जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि व्यवहारी ने जानबूझकर कानून का उल्लंघन किया है या फिर

उसकी मंशा खराब है। शास्ति इसलिये लगाना जरूरी नहीं है कि यह कानूनसम्मत है। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को स्थापित करना है तथा न कि अपराधी को सजा देना है। शास्ति लगाने का प्रावधान राजस्व अर्जित करने का साधन नहीं है। शास्ति उतनी ही लगानी चाहिए जितनी उचित हो। लेकिन कर निर्धारण अधिकानी ने अधिकतम शास्ति लगायी है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इस संबंध में अधिकृत प्रतिनिधि ने माननीय न्यायालयों के निम्न निर्णय उद्धरित किये :-

1. हिन्दुस्तान स्टील लि. बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा(1970) STC-211 सुप्रीम कोर्ट
2. जेन्टिल जोसफ एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ केरला(1970) STC-211(केरल)

इसके पिछले वर्ष में अपील निर्णय के इफेक्ट देने के बाद पिछले वर्ष का करदायित्व रुपये 10,320/- ही बनता है उसके हिसाब से भी धारा 58(ii) में अधिकतम शास्ति रुपये 5,000/- ही लगायी जा सकती है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने रुपये 30,566/- की शास्ति आरोपित की है जो अनुचित एवं अवैधानिक है। उपरोक्त सभी तथ्यों आधारों पर प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रुपये 30,566/- बहुत अधिक है जिसे घटाकर 2,000/- किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी ने वक्त कर निर्धारण रुपये 1,15,013/- का मूल वैट-41 प्रस्तुत कर दिया उसके बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी ने इसका समायोजन यह कहकर नहीं दिया कि बाद सत्यापन समायोजन दिया जायेगा जबकि प्रत्यर्थी ने मूल वैट-41 कर निर्धारण के समय पेश कर दिया था जो वक्त कर निर्धारण ही इसका समायोजन दिया जाना चाहिये था। उपरोक्त सभी तथ्यों, आधारों पर बहस करते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

4. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित की गयी टिप्पणी के अनुसार उक्त आदेश प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात पारित किया गया है इसके अतिरिक्त व्यवहारी का टर्नओवर विधिसम्मत आधार पर एवं न्यायोचित तरीके से गणना करते हुए पारित किया गया है। यह भी तर्क दिया कि व्यवसायी का गतवर्ष 2008-09 में राजकोष में जमा शुद्ध करदायित्व रुपये 20,000/- से अधिक था एवं व्यवसायी द्वारा वार्षिक विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया इस आधार पर अधिनियम की धारा 58(i) के अन्तर्गत प्रकरण में शास्ति रुपये 30,566/- पूर्णतः विधिसम्मत रूप से आरोपित की गयी है। उक्त प्रकरण किसी भी रूप में धारा 58(ii) में आकर्षित नहीं होता है। अतः प्रत्यर्थी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया गया एवं विभागीय अधिकारी द्वारा भेजी गयी टिप्पणी एवं विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपील सुनवाई के समय वर्कआर्डर की प्रतियां प्रस्तुत की गयी जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट में फर्म से संबंधित कार्य का विवरण दर्ज किया गया है एवं वर्कआर्डर में यह भी अंकित किया गया है कि कार्य में निष्पादन हेतु आवश्यक सामग्री निगम के स्टोर से जारी की जावेगी। इसके अतिरिक्त सहायक इंजीनियर,

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. खेतड़ीनगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गयी जिसमें अंकित किया गया है कि मैसर्स सीमा इलेक्ट्रिकल एवं कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, खेतड़ीनगर को इस कार्यालय के अन्तर्गत आवंटित किये गये कार्यों के लिए सभी प्रकार का सामान जिसमें नट एण्ड बोल्ट आदि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी सामान फर्म द्वारा खरीद कर नहीं लाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की गयी है जिसमें भी इसी प्रकार के तथ्यों को उल्लेखित किया है। प्रत्यर्थी द्वारा समस्त कार्यों से संबंधित वर्कआर्डर की प्रतियां जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी किन्तु प्रस्तुत वर्क आर्डर की प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि किये जाने वाले कार्य में केवल श्रम कार्य ही संलिप्त है। वर्कआर्डर के अंत में नोट अंकित है जिसमें उल्लेख किया गया है कि नट बोल्ट, पी.जी.कलाम्पस, आई. बोल्ट, स्टे इन्सुलेटर की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जायेगी। एक तरफ वर्कआर्डर के मुख्य भाग में यह अंकित किया गया है कि समस्त मटेरियल निगम के स्टोर से जारी किया जायेगा जबकि दूसरी ओर नोट में यह अंकित करना कि उक्त सामग्री ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त की जायेगी विरोधाभास है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्यतः आवश्यक मटेरियल निगम स्टोर से जारी करवाया जायेगा किन्तु कुछ सामान निगम स्टोर में उपलब्ध नहीं होने की दशा में ठेकेदार द्वारा खरीद कर काम में लिया जायेगा। यद्यपि सक्षम अधिकारी द्वारा बाद जांच यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि कितनी राशि का माल ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त किया गया है फिर भी उनके द्वारा समस्त ठेके राशि का लगभग 30 प्रतिशत के बराबर सामग्री का प्रयोग माना है जो कि अत्यधिक प्रतीत होता है। इस कार्यालय द्वारा पूर्व वर्ष 2008-09 के पारित अपील निर्णय दिनांक 09.01.2012 जिनमें मुख्य तथ्य एक समान है उस कार्य की प्रकृति एवं उपयोग को देखते हुए करयोग्य माल (नट बोल्ट, पी.जी.कलाम्पस, आई.बोल्ट, स्टे इन्सुलेटर) का भाग करयोग्य भुगतान के 5 प्रतिशत के बराबर माना है अतः इस वर्ष में भी ठेके की प्रकृति पूर्व वर्ष की तरह होने के कारण सामग्री की मात्रा भुगतान 5 प्रतिशत अनुमानित की जाती है एवं इसका 50 प्रतिशत भाग 4 प्रतिशत करयोग्य माल एवं 50 प्रतिशत भाग 14 प्रतिशत करयोग्य माल अनुमानित किया जाता है। अतः इसकी गणना इस प्रकार की जाती है रुपये 41,69,044/- का 5 प्रतिशत रुपये 2,08,452/- कुल करयोग्य माल ठेके कार्य में प्रयुक्त मानते हुए इसका 1/2 भाग रुपये 1,04,226/- 4 प्रतिशत से कर रुपये 4,169/- एवं शेष 1/2 भाग रुपये 1,04,226/- पर 14 प्रतिशत की दर से रुपये 14,569/- कुल रुपये 18,768/- अनुमानित किया जाता है। जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा 30 प्रतिशत अनुमानित करते हुए कुल रुपये 92,610/- का कर आरोपित किया। अतः रुपये 73,849/- अधिक आरोपित कर को अपास्त किया जाता है। सक्षम अधिकारी द्वारा अपने आदेश में कुल प्राप्त भुगतान में से श्रम का भाग घटाने के पश्चात् शेष भुगतान में 10 प्रतिशत लाभांश जोड़कर करारोपण करने की कार्यवाही की गयी है वह पूर्णतः अनुचित एवं असंवैधानिक है क्योंकि पूर्ण भुगतान में 10 प्रतिशत राशि पूर्व में ही सम्मिलित होती है।

जहां तक रिटर्न देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा

लगातार.....6

58(i) में शास्ति आरोपण रुपये 30,566/- आरोपित करने का प्रश्न है। इस बिन्दू पर सक्षम अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में तर्क दिया गया है कि गत वर्ष 2008-09 में अपीलार्थी का करदायित्व रुपये 20,000/- से अधिक होने के कारण इसमें अधिनियम की धारा 58(i) में शास्ति आरोपण योग्य है जबकि प्रत्यर्थी द्वारा तर्क दिया गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा करयोग्य सामग्री का अत्यधिक अनुमान लगाते हुए गतवर्ष गलत कर आरोपित करते हुए करारोपण किया गया जिसे उपायुक्त(अपील्स) के आदेश दिनांक 09.01.2012 द्वारा कम करते हुए कर राशि कुल रुपये 10,320/- अवधारित किया गया जो कि रुपये 20,000/- से कम होने के कारण रिटर्न देरी से प्रस्तुत करने के अपराध में अधिनियम की धारा 58(ii) के अन्तर्गत ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। उक्त दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अत्यधिक करारोपण से अपील आदेश द्वारा कम करने के पश्चात् देय कर रुपये 20,000/- से कम अवधारित किये जाने के कारण इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 58(ii) ही लागू होती है जिसके अनुसार इस अवधि में अधिकतम शास्ति रुपये 5,000/- ही आरोपित की जा सकती है। अतः अधिक आरोपित शास्ति रुपये 30,566/- में से रुपये 5,000/- कम करने पर रुपये 25,566/- अपास्त की जाती है।

5. अपीलीय अधिकारी का आदेश पूर्णतः विधिक एवं न्यायसंगत है। अतः इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य